

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ संशोधित कार्य-विभाजन आदेश ॥

क्रमांक/568/S.W./एक-5-1/2005-28

बड़वानी, दिनांक 22/04/2026

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक/क. 722/गोप./2026, दिनांक 10.07.2026 के द्वारा श्री राज कुमार वर्मा की पदस्थापना द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बड़वानी के रूप में होने के फलस्वरूप एवं इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों के संपादन के संबंध में अन्य आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु, मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21(4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-8(7), 8(8), 214, 422(2) एवं 441 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2026 हेतु जारी इस कार्यालय के कार्य विभाजन आदेश क्र. 113/एस. डब्लू/दिनांक 14.02.2026 कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 113/ एस.डब्लू दिनांक 14.02.2026 एवं, संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्र. 274/एस.डब्लू दिनांक 22.04.2026 में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित है या प्रस्तुत किया गया है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :-

1. कार्य विभाजन पत्रक 2026 दिनांक 14.02.2026 के अनुक्रमांक 4 पर पुनः " द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी" निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

4. न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य - 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश द्वारा अंतरित प्रकरण । 2. तहसील ठीकरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण। 3. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । आपराधिक प्रकरण :- 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन पत्र व अन्य दाण्डिक प्रकरण। 5 निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
--	---

2. कार्य विभाजन आदेश क. 113 दिनांक 14.02.2026 के अनुक्रमांक 5 के न्यायालय तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी के संबंध में निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है :-

5.	न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी		व्यवहार प्रकरण :- 1. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। 2. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। आपराधिक प्रकरण :- 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा अन्तरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन पत्र व अन्य दांडिक प्रकरण। 4. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 5. —लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित पुलिस आरक्षी केन्द्र बड़वानी, पाटी, सिलावद, पलसुद, अंजड़, ठीकरी, जुलवानिया, राजपुर, ओझर, नांगलवाडी की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध" व पॉक्सो एक्ट से संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां (पूर्व में अधिसूचित रहे पॉक्सो अधिनियम के न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों संबंधित समस्त कार्यवाहियां) 6. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत वे मामले, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध की धाराएं भी हैं। (संपूर्ण जिला) 7. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत वे मामले भी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध की धाराएं भी हैं (संपूर्ण जिला) तथा पूर्व में बालक न्यायालय के रूप में संपूर्ण जिले में किसी भी निराकृत प्रकरण से संबंधित समस्त कार्यवाहियां।
----	---	--	--

3. कार्य विभाजन आदेश क. 113 दिनांक 14.02.2026 के अनुक्रमांक 6 के न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) के कॉलम नं. 4 की कंडिका क. 2 से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों की क्षेत्राधिकारिता के संबंध में **ठीकरी** को विलोपित किया जाता है।

4— वर्तमान में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा का न्यायालय रिक्त होने से कार्य विभाजन आदेश क्र. 274 द्वारा आवश्यक निर्देश के कॉलम में जोड़ी गई कंडिका क्र. 13 की प्रविष्टि को विलोपित कर निम्नानुसार नवीन प्रविष्टि स्थापित की जाती है :-

क्र.	वर्तमान में रिक्त न्यायालय	वर्तमान में अधिकृत न्यायालय
13	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा / सदस्य, प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा / सदस्य, द्वितीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा

5— कार्य विभाजन आदेश क्र. 274 द्वारा स्थापित अवकाश प्रभार के संबंध में अनुक्रमांक 4 के पश्चात अनुक्रमांक 4-ए स्थापित किया जाकर निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी
2	परिवार न्यायालय बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी
3	विशेष न्यायाधीश बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी
4	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्य	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी
		शेष समस्त कार्य	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी
4-A	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
5	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	तैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि., 2012 के तहत कार्य	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी
		शेष समस्त कार्य	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी
6	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा		तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्याया., सेंधवा	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी
7	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा		द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्याया., सेंधवा	विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी

(महेन्द्र कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क. / 2113 / एक-5-1 / 2005-25

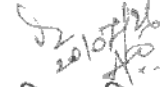
बड़वानी, दिनांक 20/07/2026

प्रतिलिपि :-

- 01- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी।
- 02- विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।
- 03- प्रथम / तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी
- 04- प्रथम / द्वितीय / तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा / बड़वानी
- 05- प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी।
- 06- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़ / राजपुर / सेंधवा।
- 07- प्रथम / तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी।
- 08- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़ / खेतिया।
- 09- अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर / सेंधवा
- 10- प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी।
- 11- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी / अंजड़ / राजपुर / सेंधवा / खेतिया।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 12— प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 13— प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की ओर माननीय प्रधान जिला एवं
सत्र न्यायाधीश बड़वानी के समक्ष रखा जाने हेतु प्रेषित।



प्रशासनिक अधिकारी
कार्या: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)